


बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
शुद्धि - पत्र

पटना-15, दिनांक: 22 जनवरी, 2019


संख्या-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-955/विभागीय अधिसूचना संख्या-1/पी0-1001/2016 (खण्ड-2)-सा0प्र0-930 दिनांक-21.01.2019 में डॉ0 सुभाष शर्मा, भा0प्र0से0 बैच, 'बी एच : 1984' के स्थान पर 'बी एच : 1985' अंकित हो गया है। अतएव, उक्त अधिसूचना को तदनुसार संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


22.1.19
(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:-संख्या:-1/पी0-1001/2016(खण्ड-2)-सा0प्र0-955/पटना-15,दिनांक: 22 जनवरी, 2019
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित/सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/कैरियर मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/महालेखाकार(ले. एवं ह.), बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/मुख्य मंत्री, बिहार के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्प्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित पदाधिकारी/अवर सचिव(वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/भू-संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त विभाग को सी0डी0 के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-01 एवं 06 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


22.1.19
सरकार के अवर सचिव।